

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/वृहत्तर पीठ/—/2024, दिनांक:- 02.05, 2024,

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन वृहत्तर पीठ से सम्बन्धित, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ के पत्र सं0 85/2024 दिनांकित 29.04.2024 के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित वादों एवं पूर्व से लम्बित अन्य वादों, के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर दिनांक 10.06.2024 से दिनांक 12.06.2024 तक वृहत्तर पीठ का गठन किया जाता है।

उक्त गठित वृहत्तर पीठ में मेरे अतिरिक्त श्री अजय कुमार दीक्षित, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, मेरठ, श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ, श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ एवं श्री कमलेश्वर प्रसाद वर्मा, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 कानपुर सम्मिलित होंगे।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-02.05.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/ वृहत्तर पीठ/410/2024, दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1-लखनऊ/ पीठ-3, लखनऊ/पीठ -1 मेरठ एवं पीठ-3, कानपुर।
- 2-मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
- 3- वरिष्ठ सहायक(नाजिर), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि लखनऊ के बाहर से आने वाले अधिकारीगण के उक्त अवधि के लिए प्रवास हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।